पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 694

पीएस कांड संख्या-675 से उत्पन्न, वर्ष-2021, थाना- गोपालगंज नगर जिला-गोपालगंज

==========

शंकर ठाकुर उर्फ शंकरदेव नारायण ठाकुर पुत्र स्वर्गीय देवनारायण ठाकुर निवासी ग्राम-अंतौर, डाकघर-अंतौर, थाना-बहेड़ा, जिला-दरभंगा, वर्तमान में ग्राम- शिव शंकर छवि समिति, शास्त्री नगर, डी मेलो में निवास कंपाउंड, धोबीघाट, वकोला, सांताक्रूज़ (पूर्व) मुंबई, महाराष्ट्र, 400055

... ... अपीलकर्ता/ ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. राजीव रंजन पाठक पुत्र श्री विश्वनाथ पाठक निवासी अधिवक्ता नगर, वार्ड नं. 14, जिला-गोपालगंज

... ... उत्तरवादी/ ओं

==========

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं की ओर से : श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता
श्री रवि कुमार पांडेय, अधिवक्ता

उत्तरवादी नं. 2 की ओर से : श्री सुमित शेखर पांडेय, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स. लो. अ.

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *आईपीसी की धाराएं 304 बी, 306*
- *दहेज निषेध अधिनियम की धाराएं 3 और 4*

अपील - यह अपील पीड़ित द्वारा दायर की गई है, जिसमें अभियुक्त को कम सजा दिए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई है।

न्यायालय का निर्णय - जब निचली अदालत ने अभियुक्त को कम सजा दी है, तो पीड़ित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील दायर नहीं कर सकता। (पैरा 11.1)

अपील सुनवाई योग्य नहीं है और खारिज की जाती है। ***(पैरा 14)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

न्यायालय : माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार पाण्डेय
मौखिक निर्णय

(प्रति : माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली द्वारा)

दिनांक : 20-02-2025

अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री संजीव कुमार को सुना गया, जिनकी सहायता श्री रवि कुमार पांडे, उत्तरवादी संख्या 2 के लिए श्री सुमित शेखर पांडे और उत्तरवादी - राज्य के लिए विद्वान स.लो.अ. श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने की।

2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के ज्ञापन में दिए गए कथनों का संदर्भ दिया तथा उसके पश्चात तर्क दिया कि वर्तमान अपीलकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 2 के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, 306 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए प्राथमिकी दायर की है। यह भी समर्पित किया गया है कि जांच के बाद, जांच एजेंसी ने उत्तरवादी संख्या 2/अभियुक्त के खिलाफ संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष आरोप-पत्र दायर किया। हालांकि, मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था और इसलिए संबंधित मजिस्ट्रेट ने इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

3. यह समर्पित किया गया है कि सत्र न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों की जांच की और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। बचाव पक्ष ने भी 1 बचाव गवाह की जांच की है। इसके बाद, उत्तरवादी संख्या 2/अभियुक्त का धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इसके बाद विचरण न्यायालय ने उत्तरवादी संख्या 2/अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, 306 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए 7 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए 7 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा तथा 20,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने तथा जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई। साथ ही विचरण न्यायालय ने उसे 5 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा तथा 20,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए 30,000/- रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विचरण न्यायालय ने उत्तरवादी नंबर 2/आरोपी को दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए 1 वर्ष के लिए कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा और जुर्माना वसूल होने पर उसे मृतक के बच्चे को देने का निर्देश दिया है।

5. अपीलार्थी/पीड़ित ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 372 के प्रावधान के अंतर्गत वर्तमान अपील दायर की

है, जिसमें अपीलार्थी ने विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश-III, गोपालगंज द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 84/2022 में उत्तरवादी संख्या 2/आरोपी को कम सजा/दंड दिए जाने के दिनांक 08.04.2024 के आदेश को चुनौती दी है।

6. अपीलकर्ता/पीड़ित के विद्वान अधिवक्ता ने समर्पित किया कि अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील इस शिकायत के साथ दायर की गई है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए विचरण न्यायालय को भा. द. सं. की धारा 304 बी और धारा 306 के तहत अधिकतम सजा/दंड लगाना चाहिए था। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाए और पक्षों को सुनने के बाद विचरण न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा को बढ़ाया जाए।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी संख्या 2/आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने समर्पित किया कि संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत वर्तमान अपील स्वीकार्य नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि सजा बढ़ाने के लिए संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील दायर नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि इस अपील को केवल इसी आधार पर खारिज किया जाए।

8. विद्वान स.लो.अ. ने उत्तरवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित दलीलों का भी समर्थन किया है।

9. हमने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित दलीलों पर विचार किया है। संबंधित विचरण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.04.2024 को पारित निर्णय के अवलोकन से यह पता चलता है कि विचरण न्यायालय ने उत्तरवादी संख्या 2/अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है तथा उसे 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसी प्रकार, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है तथा उसे 7 वर्ष के

कारावास की सजा सुनाई गई है। अब अपीलकर्ता/पीड़ित की शिकायत है कि विचरण न्यायालय ने कम सजा/दंड लगाया है, इसलिए विचरण न्यायालय द्वारा लगाई गई सजा बढ़ाई जानी चाहिए।

10. इस स्तर पर, हम संहिता की धारा 372 में निहित प्रावधानों को संदर्भित करना चाहेंगे, जो निम्नानुसार प्रदान करता है:-

> *"**372. जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, कोई अपील नहीं होगी।** - किसी भी आपराधिक न्यायालय के निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, सिवाय इसके कि इस संहिता या किसी अन्य कानून द्वारा प्रावधान किया गया हो।*
>
> *[बशर्ते कि पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा, जिसमें अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया हो या किसी छोटे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या अपर्याप्त मुआवजा अधिरोपित किया गया हो, और ऐसी अपील उस न्यायालय में की जा सकेगी, जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि आदेश के विरुद्ध सामान्यतः अपील की जाती है।]*

11. उपर्युक्त धारा में निहित परंतुक से यह पता चलता है कि पीड़ित को न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार तीन परिस्थितियों में दिया गया है: (i) जब अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया हो या (ii) जब अभियुक्त को कमतर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या (iii) जब विचारण न्यायालय ने अपर्याप्त मुआवजा दिया हो।

11.1. इस प्रकार, उपर्युक्त प्रावधान से यह कहा जा सकता है कि जब विचारण न्यायालय ने कमतर सजा सुनाई हो, तो पीड़ित संहिता की धारा 372 के परंतुक के अंतर्गत अपील नहीं कर सकता।

12. उपरोक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों और अपीलकर्ता/पीड़ित की शिकायत की सावधानीपूर्वक जांच की जाए, तो यह पता चलता है कि अपीलकर्ता ने बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील पेश नहीं की है और न ही उसने इस शिकायत के साथ वर्तमान अपील पेश की है कि उत्तरवादी संख्या 2/आरोपी को कम अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और न ही अपीलकर्ता की कोई शिकायत है कि विचरण न्यायालय ने अपर्याप्त मुआवजा दिया है। अपीलकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि विचरण न्यायालय ने कम सजा सुनाई है।

13. हमारा विचार है कि सजा बढ़ाने के लिए, पीड़ित संहिता की धारा 372 के प्रावधान के तहत अपील पेश नहीं कर सकता है।

13.1. वास्तव में, संहिता की धारा 377 के तहत, राज्य विचरण न्यायालय द्वारा लगाए गए सजा के आदेश के खिलाफ अपील पेश कर सकता है। हालांकि, पीड़ित को धारा 372 के प्रावधान के तहत सजा बढ़ाने के लिए अपील दायर करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

14. तदनुसार, हमारा विचार है कि वर्तमान अपील स्वीकार्य नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

15. हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने अपीलकर्ता के मामले की योग्यता की जांच नहीं की है और इसलिए अपीलकर्ता के लिए हमेशा यह खुला है कि वह वर्तमान अपील में उठाई गई शिकायतों के लिए इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर करने सहित उचित मंच के समक्ष उचित कार्यवाही दायर करे।

(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

सचिन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।